



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (पंजीकृत)  
(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)  
**ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY**  
(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

AEES/AU/F4/ADMISSION/2026-27/106

दिनांक 09.06.2026

**प्रवेश परिपत्र -II शैक्षणिक वर्ष 2026-27**  
**Admission Circular-II Academic Year 2026-27**

(क) शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत बालवाटिका-II, बालवाटिका-III एवं कक्षा-I में प्रवेश हेतु।  
a) For Balvatika-II, Balvatika-III and Class-I under Right to Education (RTE) Act 2009.


(ख) गैर-डीएई (Non-DAE) आश्रितों/बच्चों की श्रेणी के अंतर्गत बालवाटिका-II, बालवाटिका-III एवं कक्षा-I में प्रवेश हेतु।  
b) For Balvatika-II, Balvatika-III and Class-I under Non-DAE wards category.

इस परिपत्र में शामिल हैं/This circular comprises :

- (A) प्रवेश के लिए दिशानिर्देश/The guidelines for admission
- (B) प्रवेश के लिए आवेदन पत्र/Application forms for admission

प्रवेश के लिए सूचना प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट [www.aees.gov.in](http://www.aees.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

Information for admission is also available on AEES website [www.aees.gov.in](http://www.aees.gov.in).

  
(डॉ. एल.एम.पंत / Dr. L M Pant)  
सचिव/Secretary

प.ऊ.के.विद्यालयों/कनि. महाविद्यालयों के सभी प्रमुख/All Heads of AEC Schools/ Junior Colleges  
प्रतिलिपि/Copy to:

1. अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Chairman, AEES, Mumbai
2. अध्यक्ष, स.प्र.स, प.ऊ.के.वि./कनि.महा./Chairman, LMC, AECS/JC
3. प्रधान कार्मिक प्रभाग, भा.प्र.अ.के. (व्यापक प्रचार देने के अनुरोध के साथ)/Head Personnel Division, BARC (with a request to give wide publicity)
4. रजिस्ट्रार, टीआईएफआर, मुंबई-400005/Registrar, TIFR, Mumbai-400005
5. मु.प्र.अधि., एचडब्ल्यूबी कार्यालय, वी एस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094/CAO, HWB Office, V S Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai-400094
6. मु.प्र.अधि., डीसीएस एवं ईएम, वी एस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094/CAO, DCS & EM, V S Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai-400094
7. सीए एवं प्र.अधि, टीएमसी, परेल, मुंबई-400012/CA & AO, TMC, Parel, Mumbai-400012
8. निदेशक, मुंबई विश्वविद्यालय - परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मूलभूत विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र, नालंदा, ओपीपी नैनो साइंसेज बिल्डिंग, मुंबई विश्वविद्यालय, विद्यानगर, मुंबई 400098/Director, UM-DAE Centre for Excellence in Basic Sciences, Nalanda, Opp Nano Sciences Building, University of Mumbai, Vidyanagari, Mumbai 400098
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Chief Administrative Officer, AEES, Mumbai.
10. प्रधानाचार्य एवं प्रमुख, शै.इ., प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Principal and Head, Academic Unit, AEES, Mumbai

11. अवर सचिव, प्रशासन, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई-400001/Under Secretary, Administration, Department of Atomic Energy, Mumbai-400001
12. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094/Manager, Personnel, NPCIL, Anushaktinagar, Mumbai-400094
13. प्र.अधि.-III, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/AO-III, AEES, Mumbai
14. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीएस, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई -400094/Administrative Officer, DPS, V S Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai-400094
15. प्रशासनिक अधिकारी, एचबीसीएसई, अणुशक्तिनगर, मुंबई -400094/Administrative Officer, HBCSE, Anushaktinagar, Mumbai-400094
16. प्रशासनिक अधिकारी, बीआरआईटी, टर्बे, नवी मुंबई-400703/Administrative Officer, BRIT, Turbhe, Navi Mumbai-400703
17. प्रशासनिक अधिकारी, आईआरबी, अणुशक्तिनगर, मुंबई -400094/Administrative Officer, AERB, Anushaktinagar, Mumbai-400094
18. उप-प्रधानाचार्य एवं उप-प्रमुख, शैक्षणिक इकाई, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Vice-Principal and Deputy Head, Academic Unit, AEES, Mumbai
19. वरि. लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/ Sr. Accounts Officer, AEES, Mumbai
20. सहा. लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Asst. Accts. Officer, AEES (Sal./Pen./Bills/PF), AEES, Mumbai
21. सहा. प्र. अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/Asst. Admn. Officer, AEES (R&V/E&L/Sal./Pen./Bills/PF), AEES, Mumbai
22. डेटा प्रबंधन कक्ष, प.ऊ.शि.सं., मुंबई/ Data Management Cell, AEES, Mumbai
23. मास्टर फाइल/Master File.

-----

**आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बलवाटिका-II, III और कक्षा I के लिए प्रवेश दिशानिर्देश**  
**Admission Guidelines for Balvatika-II, III and Class-I under the provisions of the**  
**RTE Act**

एतद्वार यह सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2015-2016 से 2025-2026 तक, प.ऊ.कें.विद्यालयों ने केवल कक्षा-I में आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेश दिया। परन्तु, शैक्षणिक सत्र 2026-2027 में, प.ऊ.कें.विद्यालयों द्वारा आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बालवाटिका-I, II, III और कक्षा-I में प्रवेश दिए जाएंगे। **बालवाटिका-I के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आरटीई अधिनियम के तहत बालवाटिका-II, बालवाटिका-III और कक्षा-I में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।**

It is hereby informed that from the Academic Session 2015-2016 to 2025-2026, AEC schools granted admissions under the provisions of RTE Act only in Class-I. However, in the **Academic Session 2026-2027, AEC schools shall grant admissions under the provisions of RTE Act in Balvatika-I, II, III and Class-I.** Admission process for Balvatika-I has been completed. Now the admissions are invited for Balvatika-II, Balvatika-III and Class-I under RTE Act.

कक्षाओं की उपलब्धता और इन कक्षाओं में खाली सीटों की संख्या के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

**These admissions will be granted as per availability of classrooms and number of vacant seat in these classes.**

आरटीई श्रेणी के तहत बलवाटिका-II, III, और कक्षा-I में भर्ती किए जाने वाले छात्रों की संख्या प.ऊ.शि.सं. द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

The Number of students to be admitted in Balvatika-II, III & Class I under RTE category must be as per guidelines issued by AEES from time to time.

**1. प्रवेश की विधि/Method of Admission**

- (i) प.ऊ.कें.विद्यालयों के प्रमुख, संबंधित अध्यक्ष, स्था.प्र.स के परामर्श से निर्णय लेंगे कि क्या आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश प.ऊ.शि.सं. के दिशानिर्देशों के अनुसार या राज्य सरकार आवंटन प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा। आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश दोनों प्रणालियों को एक साथ अपनाकर किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। प.ऊ.कें.विद्यालयों के प्रमुखों को उनमें से किसी एक को चुनना होगा।

The Heads of AEC Schools shall decide in consultation with the respective Chairman LMC whether the admissions under RTE Act shall be granted as per guidelines of AEES or through the State Government allotment system. Admissions under RTE Act shall not be made under any circumstances by adopting both systems simultaneously. Heads of AEC Schools have to opt any one of them.

- (ii) जहां कहीं भी, प.ऊ.कें.विद्यालयों ने आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेश देने के लिए राज्य सरकार के संबंधित शिक्षा विभाग के साथ ऑनलाइन पंजीकरण किया है, संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों को आरटीई के तहत बलवाटिका-II, III एवं कक्षा I के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के बारे में सूचित किया जाएगा। प्रवेश उस सीमा तक सख्ती से दिए जाएंगे।

Wherever, the AEC Schools have registered online with the respective Education Department of the State Government for grant of admissions under the provisions of RTE Act, the respective State Government authorities shall be informed about the number of seats available for Balvatika-II, Balvatika-III and Class-I under RTE. Admissions shall be granted strictly to that extent.

जहां कहीं भी, प.ऊ.कें.विद्यालय राज्य सरकार के अधिकारियों से आरटीई अधिनियम कार्यक्रम के तहत प्रवेश के लिए छात्रों के नाम मांगते हैं, उन संस्थानों के प्रमुखों को राज्य सरकार को प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए पालन किए जाने वाले 'आयु मानदंड' के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया जाता है। और ऐसे बच्चों के नाम केवल प.ऊ.कें.विद्यालयों में आरटीई अधिनियम कार्यक्रम के तहत बालवाटिका-I में प्रवेश के लिए राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा अग्रेषित किए जा सकते हैं।

Wherever, the AEC Schools seeking the names of students for admission under RTE Act Programme from the State Government Authorities, the Heads of Institutions are hereby instructed to inform the state govt. authorities about the 'Age Criterion' followed for admission in the AEES. The names of such eligible children can only be forwarded by the concerned state govt. authorities for admission under RTE ACT Programme in AEC Schools.

कक्षा Class	31 मार्च, 2026 को न्यूनतम आयु Minimum age on 31 <sup>st</sup> March, 2026)	31 मार्च, 2026 को अधिकतम आयु Maximum age on 31 <sup>st</sup> March, 2026
Balvatika-II	4 Years	5 Years
Balvatika-III	5 Years	6 Years
I	6 Years	8 Years

नोट/Note : प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांग बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट दी जा सकती है।  
The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Differently abled children by the Principal.

- (iii) प.ऊ.के.विद्यालयों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मामले में, आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक न हो।  
Heads of AEC Schools have to ensure that in any case, the number of admissions being granted under the RTE Act do not exceed the prescribed number of seats.
- (iv) जो विद्यालय आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों के प्रवेश के लिए प.ऊ.शि.सं. मानदंडों को अपनाते हैं, वे निम्नलिखित पात्रता मानदंड का पालन करेंगे।  
The schools which adopt AEES Norms for admission of students under RTE Act they shall follow the following eligibility criterion.

पड़ोस के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जो वंचित समूह और/या कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश लेने के पात्र हैं।

**Children residing in the neighbourhood area, who belong to Disadvantaged Group and/or Weaker Section are eligible to seek admission under the provisions of RTE Act, 2009.**

यदि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बलवाटिका-I में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक है, तो संबंधित स्कूल के अध्यक्ष, स्था.प्र.स. को आरटीई अधिनियम के तहत सीटों की निश्चित संख्या (जैसा कि ऊपर कहा गया है) को भरना चाहिए।, लॉट के ड्रॉ की एक प्रणाली। लॉट तैयार करने के लिए समिति की संरचना एलएमसी के अध्यक्ष द्वारा तय की जाएगी।

If the number of applications received seeking admission under the provisions of RTE Act exceeds the available seats, Chairman, LMC of the school concerned should fill up the said fixed number of seats (as stated above) under RTE Act, by having a system of Draw of Lots. The composition of committee for drawing of lots will be as decided by the Chairman, LMC.

## 2. आरटीई अधिनियम के अनुसार परिभाषाएं/Definitions as per RTE Act:

### वंचित समूह की परिभाषा/Definition of Disadvantaged Group

वंचित समूह से संबंधित बालक/बालिका से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका से है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा ऐसे किसी अन्य समूह से संबंधित हो, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषायी, लैंगिक अथवा ऐसे अन्य किसी कारणवश वंचना या प्रतिकूलता का सामना करता हो, जैसा कि

उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए। (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2(घ))

Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government, by notification (Section 2(d) of RTE Act).

विशेष आवश्यकताओं वाले (सीडब्ल्यूएसएन) और विकलांगता से पीड़ित बच्चों का निर्धारण आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा।  
Children With Special Needs (CwSN) and suffering from disability will be determined as per the provision mentioned in RTE Act 2009 or as defined by the concerned State Govt.

### **कमजोर वर्ग की परिभाषा/Definition of weaker section**

कमजोर वर्ग (Weaker Section) से संबंधित बालक/बालिका से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका से है जिसके माता-पिता अथवा विधिक अभिभावक (जो न्यायालय अथवा किसी विधि द्वारा घोषित हों) की वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम हो। (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2(ड))।  
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section - EWS) के संबंध में आय सीमा वही लागू होगी, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हो।

Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government, by notification (Section 2(e) of RTE Act). The income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the State Govt. concerned.

### **पड़ोस क्षेत्र की परिभाषा और निवास का प्रमाण/Definition of neighbourhood & proof of residence**

चूंकि प.ऊ.के.विद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, इसलिए पड़ोस क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

Since AEC Schools are located in different states the respective State Govt. guidelines regarding the definition of neighbourhood may be followed.

जिन विद्यालयों ने राज्य सरकारों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, उन्हें नीचे दिए गए आरटीई प्रवेश कार्यक्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वे राज्य सरकार के आरटीई प्रवेश कार्यक्रम का पालन करेंगे।

The schools that have registered online with the state governments need not follow the schedule of RTE Admissions given below. They will follow the State Governments RTE admission schedule.

## **2. आवेदन पत्र/Application Forms:**

आरटीई अधिनियम के तहत बालवाटिका-II, III और कक्षा I में प्रवेश के लिए आरटीई अधिनियम के तहत आवेदन पत्र (जहां विद्यालय द्वारा ही प्रवेश किया जाता है):

**Application Forms for Admission to Balvatika-II, III and Class-I under RTE Act**  
(where admissions are done by school itself):

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है (कोई आवेदन पत्र शुल्क की आवश्यकता नहीं है)। विधिवत भरा हुआ फॉर्म विद्यालय/कनि. महाविद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में को समन्वय विद्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Application Form for admission can be downloaded from AEC website (No application form fee is required). The duly filled in form should be submitted to the school/JC (single school centre) or to the co-ordinating school in case of multiple school centre.

### **अथवा/OR**

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प.ऊ.के.विद्यालय/कनि.महाविद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) के कार्यालय या कई विद्यालय केंद्रों के मामले में समन्वय विद्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ फॉर्म उस विद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में समन्वय विद्यालय को प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, स्थानीय प्रबंधन समिति (LMC) के अध्यक्ष बहु-विद्यालय केंद्रों के लिए आवेदन प्रपत्रों के संग्रहण एवं जमा करने हेतु किसी विशिष्ट विद्यालय/जूनियर कॉलेज (JC) का चयन/निर्धारण कर सकते हैं।

Application Form for admission can also be obtained from the office of AEC school/JC (single school centre) or from the co-ordinating school in case of multiple school centres. The duly filled in form has to

be submitted to that school (single school centre) or to the co-ordinating school in case of multiple school centre. However, the Chairman, LMC may decide/fix any particular school/JC for collection and submission of forms for the multiple school centres.

**आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बालवाटिका -II, III और कक्षा I के लिए प्रवेश कार्यक्रम  
Admission Schedule for Balvatika-II, III and Class-I under the Provisions of RTE Act.**

क्र.सं. Sr. No.	गतिविधि Activity	तारीख Date	समय Time
01	Distribution of Admission Form	11/06/2026 to 19/06/2026	10 am to 1 pm
02	Submission of the duly filled in Admission forms with all supporting documents	12/06/2026 to 20/06/2026	10 am to 1 pm
03	Display of the list of students found eligible and qualified	24/06/2026	10.00 am
04	Admission of RTE wards	25/06/2026 to 30/06/2026	10 am to 1 pm

**नोट/Note:**

I. केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. के पूर्वानुमोदन के बिना कार्यक्रम में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है।  
No change in schedule is allowed without prior approval of the Central office, AEES.

II. आवेदन/प्रवेश प्रपत्रों का वितरण और इसकी प्रस्तुति, सूचियों का प्रदर्शन, अंतिम प्रवेश आदि संबंधित प.ऊ.के.विद्यालयों/समन्वय विद्यालयों में किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जहां प्रवेश की मांग की जाती है।  
Distribution of Application/Admission Forms and its submission, display of lists, final admission etc. shall be done at the respective AEC Schools/ Co-ordinating schools as the case may be, where admission is sought.

**3. आरटीई के तहत शुल्क/Fee under RTE:**

कक्षा-आठवीं पूरी होने तक आरटीई अधिनियम के तहत भर्ती किए गए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।  
जिन कर्मचारियों के पास अपने विभाग में शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा है, वे आरटीई शुल्क रियायतों का दावा नहीं कर सकते।

No fee will be charged from students admitted under RTE Act till they complete Class-VIII.  
The employees who have the facility of fee reimbursement in their department cannot claim RTE fee concessions.

**4. प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज  
Documents to be Submitted Along with the Application form for Admission in AEES.**

- जन्म दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आयु के प्रमाण का प्रमाण पत्र।  
इसमें संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के तहत पृष्ठांकित ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से जन्म तिथि के बारे में संबंधित क्षेत्र परिषद/नगर पालिका/नगर पालिका निगम के प्रमाण पत्र शामिल होंगे।  
Certificate of proof of age in the form of original birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council/ Municipality/ Municipality Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat endorsed under the seal and signature of the Revenue/Panchayat officer of the concerned area.

**OR the TC if child has attended previous qualifying class.**

- एक प्रमाण पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/ बीपीएल/अलग-अलग सक्षम, जो भी लागू हो, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यदि यह प्रमाण पत्र बच्चे के नाम पर उपलब्ध नहीं है तो प्रवेश के उद्देश्य से माता-पिता में से किसी के संबंध में प्रमाण पत्र शुरू में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, बच्चे के संबंध में प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/ BPL/ Differently-abled, whichever applicable, issued by the competent authority of State Government/ Union Government concerned. The certificate in respect of either of the parents may be accepted initially, for the purpose of admission, if this certificate is not available in the name of the child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 3 Months from the date of admission.

- सिविल सर्जन / पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि बच्चा विकलांग है(जहाँ भी लागू हो)। जहाँ बच्चे की बाधा को प्रधानाचार्य द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वहाँ बच्चे को प्रमाण पत्र के बिना भी विकलांग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, माता-पिता को सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने और विद्यालय को प्रस्तुत करने की सलाह दी जा सकती है।

A Certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India certifying that child is handicapped. (wherever applicable). Where the handicap of the child can be visually seen by the Principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.

- **निवास का प्रमाण/Proof of residence.**

**नोट/Note: निवास का प्रमाण सभी आवेदकों को प्रस्तुत करना होगा।/Proof of residence shall have to be produced by all applicants.**

.....

**बालवाटिका-II, III और कक्षा-I के लिए गैर-डीई (एनडी-1 से एनडी-4 श्रेणियों) के लिए प्रवेश दिशानिर्देश**  
**Admission Guidelines for Non-DAE (ND-1 to ND-4 Categories) for Balvatika-II,III and Class-I**

प.ऊ.कें.विद्यालयों में गैर-डीई श्रेणी के तहत प्रवेश का अनुदान उस विद्यालय में डीई और आरटीई प्रवेश पूरा होने के बाद संबंधित कक्षाओं में सीटों की उपलब्धता के अधीन है।

**Grant of admissions under the Non- DAE Category in AEC schools are subject to the availability of seats in the respective classes after completion of DAE and RTE admissions in that school.**

गैर-डीई श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए कोई अतिरिक्त खंड नहीं खोला जा सकता है।

No additional sections can be opened for admissions under the Non-DAE category.

प्रत्येक कक्षा में अधिकतम छात्र संख्या के लिए, सीबीएसई परिपत्र संख्या देखें। सीबीएसई/सीई/परिपत्र/2023 दिनांक 02.08.2023  
For maximum student strength in each class, refer CBSE circular No. CBSE/CE/CIRCULAR/2023 dated 02.08.2023

**केवल आवेदन पत्र जारी करना और स्वीकार करना गैर-डीई श्रेणियों से संबंधित छात्रों को प्रवेश की गारंटी नहीं देता है।**  
**Mere issue and acceptance of an admission form does not guarantee admission to the students belonging to Non-DAE categories.**

**1. प्रवेश की विधि/Method of admission**

**प्रवेश परीक्षा/Admission tests:**

बालवाटिका-II,III और कक्षा I में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

**No admission test shall be conducted for the students seeking admissions to Balvatika-II, Balvatika-III and Class-I.**

**2. गैर-डीई श्रेणियों (एनडी-1 से एनडी-4) के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए पात्रता**

**Eligibility for Students Seeking Admission under Non-DAE Categories (ND-1 to ND-4)**

- I) प्रवेश पिछली कक्षा से पदोन्नति और पात्रता मानदंडों की पूर्ति के आधार पर दिया जाएगा (उदाहरण के लिए कक्षा IV में प्रवेश पाने के लिए एक बच्चे को कक्षा III से उत्तीर्ण और पदोन्नत किया जाना चाहिए)।  
Admissions will be granted on the basis of the promotion from the previous class and fulfilment of eligibility criteria.
- II) किसी विशेष वर्ग में गैर-डीई प्रवेश के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या जानने के लिए प्रत्येक वर्ग की मूल संख्या पर विचार किया जाएगा।  
The base strength of each section of a class shall be considered for arriving at the number of vacancies available for Non-DAE admissions in a particular class.
- III) रिक्त सीटों के लिए प.ऊ.कें. विद्यालयों में प्रवेश मांगने के लिए गैर-डीई की श्रेणियां, यदि कोई हो, इस प्रकार हैं।  
Categories of Non-DAE for seeking admission in AEC Schools against the vacant seats, if any, are as follows :

श्रेणी कोड Category code	विवरण Description
ND-1	परियोजना प्रभावित लोगों के वार्ड, जिनकी भूमि डीएई परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। Wards of the Project Affected people, whose land has been acquired for the DAE project.
ND-2	डीएई से संबंधित गतिविधियों में लगे केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारियों के वार्ड (जैसे सौशील्या, मेहतवा, विशेष बच्चों के लिए विद्यालय, सहकारी ऋण समिति, बैंक और डाकघर आदि) और डीएई परियोजनाओं के लिए काम करने वाले ठेकेदारों के कर्मचारियों के वार्ड और रक्षा/अर्धसैनिक कर्मियों या उनकी विधवाओं के वार्ड। The Wards of Central/state Government/PSU employees engaged in DAE related activities (e.g. Sausheelya, Mehatva, School for special children, Co-operative Credit Society, Banks, and Post Office etc.) and wards of employees of contractors working for DAE projects and wards of the defence/Paramilitary Personnel or their widows.
ND-3	सेवा करने/सेवानिवृत्त या मृत हो चुके डीएई कर्मचारियों के पोते (प्रति कर्मचारी एक प्रवेश)। प.ऊ.शि.सं. कर्मचारियों (सेवा / सेवानिवृत्त या समाप्त) के पोते-पोतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। Grandchildren of serving/retired or expired DAE employees (One admission per employee). Grandchildren of AEES employees (serving/retired or expired) shall be given preference.
ND-4	डीएई प्रतिष्ठान के आसपास रहने वाले लोगों के वार्ड। Wards of people residing around DAE establishment

#### नोट/Note:

एनडी-1 से एनडी-4 श्रेणियों के लिए गैर-डीएई प्रवेश पर केवल उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर विचार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, गैर-डीएई प्रवेश से किसी भी वर्ग में वर्गों में वृद्धि नहीं होगी।

Non-DAE admissions for ND-1 to ND-4 categories shall be considered only against number of available seats. Under no circumstances, the Non-DAE admission shall lead to an increase in sections in any class.

- (i) नरोरा, रावतभाटा, काकरापार, तारापुर, कैगा, कुडनकुलम, कलपक्कम और अनूपुरम, मनुगुरु, जादूगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह और पझयाकयाल में स्थित विद्यालयों के लिए, स्थानीय प्रबंधन समितियों (एलएमसी) को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर गैर-डीएई श्रेणियों की प्राथमिकता का क्रम तय करने का अधिकार है, जो समय-समय पर और एक स्थान से दूसरी स्थान तक भिन्न हो सकती है।

For schools located in Narora, Rawatbhata, Kakrapar, Tarapur, Kaiga, Kudankulam, Kalpakkam & Anupuram, Manuguru, Jaduguda, Narwapahar, Turamdih, and Pazhayakayal, the local management committees (LMCs) are empowered to decide the order of priority of Non-DAE categories based on local requirements which may vary from time to time and from one site to another site.

- (ii) मुंबई, इंदौर, हैदराबाद और मैसूर में स्थित विद्यालयों के लिए, गैर-डीएई श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए प्राथमिकता क्रम सामान्यतः ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित क्रम में होगा।

For schools located in Mumbai, Indore, Hyderabad and Mysore the Priority order for admission under Non-DAE category will be generally in the order mentioned in the table above.

- (iii) सभी गैर-डीएई प्रवेशों के लिए संबंधित स्था.प्र.स. अध्यक्ष की अनुशंसाओं के आधार पर प.ऊ.शि.सं. के केंद्रीय कार्यालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। यदि प्रवेश के लिए आवेदन किया जाता है तो अलग प्रवेश प्रपत्र जमा करने होंगे।

All Non-DAE Admissions shall category require prior approval of the Central office, AEES based on recommendations of respective Chairman, LMC.

- (iv) यदि एक से अधिक श्रेणियों के तहत प्रवेश की मांग की जाती है, तो अलग प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अर्थात् आरटीई और गैर-डीएई श्रेणियां (एनडी1 - एनडी4)।

Separate admission forms must be submitted if admission is sought under more than one category, i.e. RTE and Non-DAE categories (ND1 - ND4).

### 3. आयु मानदंड (गैर-डीएई के लिए)/Age Criteria (For Non-DAE)

विभिन्न वर्गों में प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा नीचे दी गई है: (1 अप्रैल को पैदा हुए बच्चे पर भी विचार किया जाना चाहिए।)

The minimum and maximum age limit for admission in AEES in various classes are given below:  
(Child born on 1<sup>st</sup> April should also be considered.)

कक्षा Class	31 मार्च, 2026 को न्यूनतम आयु Minimum Age on 31 <sup>st</sup> March, 2026	31 मार्च, 2026 को अधिकतम आयु Maximum Age on 31 <sup>st</sup> March, 2026
Balvatika-II	4 Years	5 Years
Balvatika-III	5 Years	6 Years
I	6 Years	8 Years

नोट/Note- प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांग बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट दी जा सकती है।  
The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Differently abled children by the Principal.

### 4. आवेदन पत्र/Application Forms

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 100 / - के आवेदन शुल्क के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म विद्यालय/कनि. महाविद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में समन्वय विद्यालय को जमा किया जाना चाहिए।

Application Form for admission can be downloaded from AEES website. The duly filled in form along with an application fee of ₹ 100/- should be submitted to the school/JC (single school centre) or to the coordinating school in case of multiple school centre.

#### अथवा/OR

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प.ऊ.कें. विद्यालय/कनि. महाविद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) के कार्यालय से या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में समन्वय विद्यालय से ₹ 100/- ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ फॉर्म उस विद्यालय (एकल विद्यालय केंद्र) या विभिन्न विद्यालय केंद्र के मामले में समन्वय विद्यालय को प्रस्तुत किया जाना है। हालांकि, है। तथापि, स्थानीय प्रबंधन समिति (LMC) के अध्यक्ष बहु-विद्यालय केन्द्रों के लिए आवेदन प्रपत्रों के संग्रहण एवं जमा करने हेतु किसी विशिष्ट विद्यालय/जूनियर कॉलेज (JC) का चयन/निर्धारण कर सकते हैं।

Application Form for admission can be obtained by paying a Fee of ₹ 100/- online from the office of AEC School / JC (single school centre) or from the coordinating school in case of multiple school centre. The duly filled in form has to be submitted to that school (single school centre) or to the coordinating school in case of multiple school centre. However, the Chairman, LMC may decide/fix any particular school/JC for collection and submission of forms for the multiple school centres.

## 5. प्रवेश कार्यक्रम /Admission Schedule:

प्रवेश कार्यक्रम संबंधित विद्यालयों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।

The admission schedule shall be displayed by the respective schools.

क्र.सं. Sr. No.	गतिविधि Activity	तारीख Date	समय Time
1	प्रवेश फॉर्म का वितरण। Distribution of Admission Form	24/06/2026 to 29/06/2026	10 am to 1 pm
2	सभी सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए प्रवेश प्रपत्रों को प्रस्तुत करना। Submission of the duly filled in Admission forms with all supporting documents.	25/06/2026 to 30/06/2026	10 am to 3 pm
4	प्रवेश के लिए पात्र छात्रों की सूची का प्रदर्शन (सभी कक्षाएं)। Display of list of students eligible for admission	To be announced later	
5	(सभी कक्षाएं) के लिए पात्र गैर-डीएई छात्रों का प्रवेश। Admission of eligible Non-DAE students	To be announced later	

### नोट/Note:

- I. केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. के पूर्वानुमोदन के बिना कार्यक्रम में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है।  
No change in schedule is allowed without prior approval of the Central office, AEES.
- II. आवेदन/प्रवेश प्रपत्रों का वितरण और इसकी प्रस्तुति, सूचियों का प्रदर्शन, अंतिम प्रवेश आदि जैसे भी मामलें हो, जहां प्रवेश की मांग की जाती है, वह संबंधित प.ऊ.के.विद्यालयों/समन्वय विद्यालयों में किया जाएगा।  
Distribution of Application/Admission Forms and its submission, display of lists, final admission etc. shall be done at the respective AEC Schools/ Co-ordinating schools as the case may be, where admission is sought.
- III. जो छात्र परिणामों की घोषणा में देरी के कारण टीसी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें वास्तविक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के आधार पर अस्थायी प्रवेश दिया जा सकता है। For students who cannot produce TC because of delay in announcement of results, provisional admission based on bona-fide pass certificate can be done.

## 6. भुगतान किया जाने वाला शुल्क/Fee to be paid

1. अन्य शुल्क के साथ परिवेश के समय ₹ 100/- के प्रवेश शुल्क का भुगतान किया जाना है।  
Admission Fee of ₹ 100/- is to be paid at the time of admission along with other fees.
2. प्रवेश के समय अन्य शुल्क सत्र/वार्षिक आधार पर (उदाहरणस्वरूप, एक शैक्षणिक सत्र के छह महीने/बारह महीने) से लिया जाएगा। सत्र शुल्क के भुगतान के संबंध में, द्वितीय सत्र का शुल्क उस शैक्षणिक सत्र के अक्टूबर माह में विद्यालय द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।  
Other Fees will be charged from on term/annual basis (i.e., six months/ twelve months of an academic session) at the time of admission. In respect of payment of term fee, the second term fee should be paid in the month of October of that academic session as per the schedule issued by the school.
3. किसी भी प्रकार की कोई शुल्क रियायत लागू नहीं होगी।  
No fee concession of any kind shall be applicable.

शुल्क संरचना इस प्रकार है/The Fee Structure is as follows:

श्रेणी/Category	कक्षा/Class	₹ में ट्यूशन शुल्क (प्रति माह) Tuition Fee in ₹ (per month)	₹ में पीयूवीवएन शुल्क (प्रति माह) PUVVN Fee in ₹ (per month)	₹ में कंप्यूटर शुल्क (प्रति माह) Computer Fee in ₹ (per month)
शहरी क्षेत्रों में स्थित प.ऊ.के.विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले गैर-डीएई छात्रों के संबंध में अर्थात् मुंबई, इंदौर, हैदराबाद और मैसूर/In respect of Non-DAE students seeking admission in AEC schools located in urban areas i.e. Mumbai, Indore, Hyderabad and Mysore	बालवाटिका / Balvatika-II, III, Class-I	3000	300	बालवाटिका-II,III -शून्य कक्षा 1के लिए: ₹ 30
अन्य सभी स्टेशनों पर प.ऊ.के.विद्यालयों में प्रवेश चाहने वाले गैर-डीएई छात्रों के संबंध में (इस तालिका में ऊपर उल्लिखित विद्यालयों को छोड़कर)/In respect of Non-DAE students seeking admission in AEC Schools at all other stations (except the schools mentioned above in this table)	बालवाटिका / Balvatika-II, III, Class-I	1500	300	For Balvatika-II, III -NIL For Class-I: ₹ 30

नोट/Note: प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, छात्र का नाम स्कूल के रोल से हटा दिया जाएगा।/ In case of non-payment of above fees within the stipulated period for each year, the name of the student will be struck off from the rolls of the school.

7. प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज।

Documents to be Submitted along with the Application form for Admission in AEES.

- नगरपालिका/नगर निगम द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र।  
Original birth certificate issued by the Municipality/ Municipal Corporation.

अथवा/OR

- ग्राम पंचायत के पंचायत कार्यालय/ग्राम मुखिया/सरपंच द्वारा जारी किया गया मूल जन्म प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के साथ सत्यापित होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।  
The original birth certificate issued by Panchayat Office/Village Mukhia/Sarpanch of a Gram Panchayat endorsed under the seal and signature of the Revenue/ Panchayat Officer of the concerned area. Admission will not be granted on the basis of an affidavit in lieu of a birth certificate

अथवा/OR

- कक्षा I-X के लिए: कक्षा I से X तक किसी भी कक्षा में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को अपने पिछले विद्यालय से वैध और मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत टीसी पर प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य (यदि प्रधानाचार्य उपलब्ध न हों) के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि पिछले विद्यालय के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म स्थान का उल्लेख नहीं है, तो बच्चे के जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। राज्य बोर्ड विद्यालय से स्थानांतरित होने वाले छात्रों के मामले में, टीसी पर संबंधित शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। सीबीएसई विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित होने वाले छात्रों के मामले में, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र में विद्यालय कोड और संबद्धता संख्या होनी चाहिए।

A valid and original Transfer Certificate (TC) from the school last attended. The TC produced should be appended with the signature of the Principal/Vice Principal (if Principal is not available). If the place

of birth is not indicated in the TC of the previous school, the proof of place of birth of the child is to be produced. In case of students migrating from State Board School, the TC needs to be countersigned by the Education Officer concerned. In case of students migrating from CBSE school, the leaving certificate should have the school code and affiliation number.

- iv. एनडी-1 श्रेणी के बच्चों के अभिभावकों को संबंधित अधिकारियों, जैसे राजस्व विभाग और प.ऊ.वि. इकाई से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

Parents of wards who belong to ND-1 Category should submit relevant documents thereof from the concerned authorities i.e. Revenue Department and DAE Unit

- v. वे माता-पिता जो सेवा के दौरान सेवानिवृत्त या अयोग्य घोषित हो गए हैं और अपने बच्चों के लिए एनडी-2 श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या अयोग्यता प्रमाण पत्र या डीईई प्राधिकरण से डीईई में उनके रोजगार का समर्थन करने वाला प्रमाण पत्र, जैसा भी लागू हो, प्रस्तुत करना चाहिए।

Parents who have superannuated or invalidated during service and are applying for their wards under the ND-2 category, should submit a Retirement Certificate or Invalidation Certificate or Certificate from the DAE authority endorsing their employment in DAE, as applicable.

- vi. केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों के अभिभावकों को, जो डीईई गतिविधियों में लगे हुए हैं और/या प.ऊ.वि. के लिए काम कर रहे हैं, एनडी-2 श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते समय अपने पदस्थापन आदेश की एक प्रति नवीनतम वेतन पर्ची के साथ प्रस्तुत करनी होगी। विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र स्थानीय प.ऊ.वि. इकाई के प्रशासनिक अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद विद्यालय अधिकारियों को जमा करना होगा।

Parents of the wards of Central/State Govt. /PSU employees engaged in DAE activities and/or working for the DAE applying under ND-2 category have to furnish a copy of their posting order along with the latest salary slip. The duly filled in application form has to be submitted to the school authorities after obtaining the counter signature of the administrative authorities of local DAE unit.

- vii. प.ऊ.वि. इकाइयों में कार्यरत प्रमुख ठेकेदारों के कर्मचारियों के आश्रितों के अभिभावक, जो एनडी-2 श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपने पदस्थापन आदेश की एक प्रति नवीनतम वेतन पर्ची के साथ प्रस्तुत करनी होगी। विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र स्थानीय प.ऊ.वि. इकाई के प्रशासनिक अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद विद्यालय अधिकारियों को जमा करना होगा।

Parents of wards of employees of the major contractors working for DAE units applying under ND-2 category have to furnish a copy of their posting order along with the latest salary slip. The duly filled in application form has to be submitted to the school authorities after obtaining the counter signature of the administrative authorities of local DAE unit.

- viii. रक्षा कर्मियों/अर्धसैनिक कर्मियों के आश्रित या उनकी विधवाओं के आश्रित जो एनडी-2 के तहत आवेदन कर रहे हैं, उन्हें दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि उनके माता-पिता रक्षा कर्मी हैं/थे।

Wards of defence personnel/Para-military personnel or wards of their widows applying under ND-2 should submit the documentary proof stating that their parents are/were defence personnel.

- ix. एनडी-3 श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत डीईई/एईईएस कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों (Grandchildren) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, जिससे यह सिद्ध हो कि उनके दादा-दादी अथवा नाना-नानी डीईई/एईईएस में कार्यरत हैं/थे।

Grand Children of working /retired/expired DAE/ AEES employees applying under ND-3, Category shall submit proof stating that the grand parents of the children are/were working in DAE/AEES.

- x. एनडी-4 श्रेणी से संबंधित बच्चों के अभिभावकों को निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

Parents of wards who belong to ND-4 category should submit the proof of residence.

- xi. उपरोक्त सभी श्रेणियों के गैर-डीईई अभिभावकों को प्रवेश आवेदन के साथ संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी नवीनतम वेतन प्रमाण पत्र मूल रूप में या राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

Non DAE parents of all the aforesaid categories have to furnish latest salary certificate issued by the employer concerned in original or latest income certificate in original issued by the Revenue authorities along with the admission application.

- xii. प्रवेश प्राप्त करने के तुरंत बाद, अभिभावकों से अनुरोध है कि वे संबंधित विद्यालय के प्रधान से मूल जन्म प्रमाण पत्र वापस ले लें और रिकॉर्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें।  
Immediately after obtaining the admission, parents are requested to collect back the original birth certificate from the respective Head of School while retaining an attested copy of birth certificate in the school for record.
- xiii. प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र विद्यालय छोड़ना चाहता है तो मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) वापस नहीं किया जाएगा।  
Original T.C. to be submitted at the time of taking admission. The original T.C. will not be returned if a student seeks to leave the school.
- xiv. जिस कक्षा की वार्षिक परीक्षा हुई थी, उस कक्षा के अंतिम रिपोर्ट कार्ड की फोटोकॉपी।  
Photocopy of the last Report card of the class for which annual examination was given.
- xv. जहां लागू हो, संबंधित आवंटन अनुभाग, प.ऊ.वि. इकाई द्वारा जारी आवासीय आवंटन पत्र की फोटोकॉपी।  
Photocopy of residential allotment letter issued by the concerned DAE Unit allotment section, wherever applicable.
- xvi. यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र। छात्र के नाम पर जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी ताकि शुल्क में छूट (यदि कोई हो) प्राप्त की जा सके। माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।  
Caste certificate, if applicable. Attested photocopy of caste certificate in the name of the student has to be furnished in order to avail fee concession (if any). Caste certificate of the parent will not be considered.

**नोट/Note:**

- i. विभिन्न विद्यालय केंद्र में, गैर-डीईई प्रवेश देने के लिए विद्यालय-वार आवेदन आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसे गैर-डीईई छात्रों को क्षेत्र/भवन का कोई अधिकार क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जाएगा।

**In a multiple school centre, there is no need to invite school-wise applications for grant of Non-DAE admissions and no jurisdiction of area/buildings to such Non-DAE students is to be stipulated.**

- ii. गैर-डीईई छात्रों के माता-पिता से इस आशय का एक लिखित वचन पत्र प्राप्त किया जाना है कि (1) उनके बच्चे अपने अध्ययन के दौरान किसी भी समय एक ही केंद्र में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, और (2) विद्यालय को विद्यालय द्वारा दी गई समय सारणी के भीतर किसी भी प्रकार की फीस देय/ भुगतान नहीं करने पर बिना किसी सूचना के बच्चे के नाम को रद्द करने का अधिकार है।

**A written undertaking from the parents of Non-DAE students is to be obtained to the effect that (1) their children are liable to be transferred from one school to the other in the same centre at any time during the course of their study, and (2) the school has right to strike off name of the child without any notice if any kind of fees is due / not paid within the time schedule given by the school.**